न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री संजना जोशी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 97/2022

1. गुरप्रेमसिंह पुत्र भूरसिंह जाति जटसिख साकिन 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सुखदेव सिंह पुत्र भूरसिंह जाति जटसिख साकिन 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. राजसिंह पुत्र भूरसिंह जाति जटसिख साकिन 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. बलतेजसिंह पुत्र भूरसिंह जाति जटसिख साकिन 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– – वादीगण

–बनाम:–

1. भूरसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख साकिन 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. नसीबकौर पत्नी भूरसिंह जाति जटसिख साकिन 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88 घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मदनगोपाल मेहरड़ा अधिवक्ता — **वादीगण**
2. श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता — **प्रतिवादीगण**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 19/10/23

वादीगण ने प्रतिवादी के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाद के पक्षकारों का रजिस्टर्ड पता वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में एक ही हिन्दू(सिख) खान दान के सदस्य है, जिन पर हिन्दू विधि लागू होती है।

तहसील पीलीबंगा के चक 11 एस.टी.बी. की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2021) से चालू का खाता सं. 35/32 का प.नं. 3/336 मु.नं. 2 किला नं. 1 ता 25 की 5.2500 हैक्ट. नहरी व प.नं. 4/336 मु.नं. 3 किला नं. 8 ता 13 18/1, 19 ता 22 की 2.594 हैक्ट. नहरी कुल 7.8440 हैक्ट. नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्यप्रति जमाबंदी पेश है।

तहसील पीलीबंगा का चक 11 एसटीबी की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2042 से चालू का खाता सं. 36/30 प.नं. 3/336 मु.नं. 2 किला नं. 1 ता 25 व प.नं. 4/336 मु.नं. 3 किला नं. 1 ता 3, 6 ता 25 की 10.297 हैक्ट. नहरी कृषि भूमि का 2/3 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 का पिता व हम वादीगण का दादा करतारसिंह पुत्र जीतसिंह जाति जटसिख साकिन चक 34 एसटीजी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी थी जो हम वादीगण का दादा उक्त करतारसिंह की मृत्यु पश्चात् हम वादीगण का पिता यानि प्रतिवादी नं. 1 को हम वादीगण के दादा से विरास्त में प्राप्त हुई है। जो कि हम वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें से मुताबिक हिन्दू विधि हम वादीगण का हमारे पिता प्रतिवादी नं. 1 यानि भूरसिंह के जीवन काल में ही प्रतिवादी नं. 1 के ब. हिस्सा बराबर बराबर का हक व हिस्सा बनता है। जिसकी घोषणा पाने व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के हम वादीगण कानूनन हकदार है। जिससे उक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2021) से चालू का खाता सं. 35/32 का प.नं. 3/336 मु.नं. 2 किला नं. 1 ता 25 की 5.2500 हैक्ट. नहरी कृषि भूमि के हम वादीगण को ब. हिस्सा बराबर बराबर के मालिक व खातेदार होने की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

वादीगण ने पहले भी प्रतिवादीगण से कई बार कहा कि दावा दफा 2 ता 4 में वर्णित अनुसार कृषि भूमि को वादीगण के नाम दर्ज करवा देवें तो प्रतिवादीगण वादीगण की बात मानने से कई दिनों तक टालमटोल करते रहे आखिरकार प्रतिवादीगण आज से 7 रोज पूर्व वादीगण की बात मानने से ईन्कार हो गये बस यही वाद कारण है।

वादीगण के खिलाफ प्रतिवादीगण ने एक गुट बना रखा है जो वादीगण से रंजिश रखते है जबकि वादीगण उक्त अनुसार कृषि भूमि के मालिक व खातेदार होने की घोषणा पाने के मुताबिक हिन्दू विधि हकदार है। प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य तरीका से अन्तरण करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने गलत मकसद में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। जिससे वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की निषेधाज्ञा पाने का हकदार है कि प्रतिवादीगण ता फैसला दावा उक्त भूमि को रहन बैय व अन्य तरीका से अन्तरण नहीं करें व रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें व वादीगण को किसी भी प्रकार से बेदखल ना करें। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति वादीगण के पक्ष में है।

प्रतिवादीगण नं. 3 को भू–धारक होने से दावा में पक्षकार बनाया है ताकि दावा में नुकस ना रहे।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वादीगण का दावा श्रीमान जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वादीगण मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार कर दावा बहक वादीगण व खिलाफ प्रतिवादीगण के निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि :–

(क) तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2021) से चालू का खाता सं. 35/32 का प.नं. 3/336 मु.नं. 2 किला नं. 1 ता 25 5.2500 हैक्ट. नहरी कृषि भूमि के वादी नं. 1 ता 4 यानि गुरप्रेमसिंह, सुखदेवसिंह, राजसिंह, बलतेजसिंह पि. भूरसिंह जाति जटसिख साकिन चक 34 एसटीजी

तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को ब.हिस्सा बराबर बराबर के मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

(ख) वादीगण को प्रतिवादीगण से खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के पक्ष में हो जारी फरमाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गयी कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गयी। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि वादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का

अवलोकन किया गया राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2021) से चालू का खाता सं. 35/32 का प.नं. 3/336 मु.नं. 2 किला नं. 1 ता 25 5.2500 हैक्ट. नहरी कृषि भूमि में वादी नं. 1 ता 4 यानि गुरप्रेमसिंह, सुखदेवसिंह, राजसिंह, बलतेजसिंह पि. भूरसिंह जाति जटसिख साकिन चक 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 19/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Sanjana 19/10/23

(संजना जोशी)
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा